

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक: प.18(1)नविवि/प.ई.नी./2015

जयपुर, दिनांक 22 FEB 2021

—:आदेश:—

पर्यटन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(1)पर्यटन/2020 दिनांक 31.05.2020 द्वारा राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015 की कार्यशील अवधि दिनांक 31.05.2022 अथवा नवीन पर्यटन नीति तैयार होने, जो भी पहले घटित हो तक बढ़ाये जाने के फलस्वरूप इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(1)नविवि/प.ई.नी./2015 दिनांक 06.06.2015 को भी उसी अनुरूप समान अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

आज्ञा से,


(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव -प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

Manish

2

410